*प्रेस नोट*　　　　　　　　*जनपद संकबीरनगर*　　　　　　　　*दिनाँक 09.08.2026*

***कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की तत्परता से मदरसा जाने के दौरान लापता 08 वर्षीय बालक सकुशल बरामद***

आज दिनांक 09.08.2026 को समय करीब 08:00 बजे मोहम्मद आरिस पुत्र श्री नसरुद्दीन, निवासी शास्त्री नगर, गोला बाजार, थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर, उम्र करीब 08 वर्ष को उसके पिता द्वारा मदरसा बंजरिया पश्चिम के गेट के पास छोड़कर घर चले गए थे। कुछ समय बाद जानकारी हुई कि बालक मदरसे में नहीं पहुंचा है और कहीं चला गया है।

इस संबंध में बालक के पिता श्री नसरुद्दीन द्वारा अपनी पत्नी के साथ थाना कोतवाली खलीलाबाद पहुंचकर सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए बालक की तलाश शुरू की गई।

आरक्षी जितेंद्र सोनी एवं आरक्षी जनार्दन प्रसाद, चीता मोबाइल गोला बाजार द्वारा त्वरित एवं सक्रियता से खोजबीन करते हुए मोहम्मद आरिस को गोला बाजार स्थित टावर के पास सकुशल घूमते हुए बरामद कर लिया गया। बालक को उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया।

***अपने बच्चे को सकुशल पाकर माता-पिता ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कोतवाली खलीलाबाद पुलिस का आभार व्यक्त किया।**

***क्रैक साइबर अपराध ठगी के शिकार हुए पीड़ित को साइबर हेल्प डेस्क थाना बेलहरकला पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराया गया 19,800 रुपये की धनराशि**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर हेल्प डेस्क थाना बेलहरकला द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई करते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक के मोबाइल को हैक कर फ्राडर द्वारा गलत ट्रांजेक्शन किया गया है। आवेदक के साथ धोखाधड़ी (फ्रॉड) कर फ्राड खाते में ट्रांसफर हुए 19,800 रुपये की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।
*घटना का संक्षिप्त विवरणः-* रामप्रीत पुत्र राजाराम निवासी कुशहरा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर से दिनाँक 10.07.2026 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक के मोबाइल को हैंक कर आवेदक के साथ धोखाधड़ी (फ्रॉड) कर फ्राडर द्वारा फ्राड खाते मे डिस्पुटेट मनी ट्रान्सफर कर लिया था। ठगी का अहसास होने पर आवेदक ने तत्काल साइबर हेल्प डेस्क थाना बेलहरकला में शिकायत दर्ज कराया गया था। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर प्राप्त शिकायत पर आवश्यक एवं प्रभावी पैरवी से 19,800-/ रुपये की धनराशि को आवेदक को सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।
*साइबर हेल्प डेस्कः-* थानाध्यक्ष श्री हरिकेश भारती, प्रभारी साइबर हेल्प डेस्क उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव, का0 दीनानाथ,का0 शैलेश यादव
*अपील-* जनता से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

*शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार*

*थाना धनघटा पुलिस* द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
*थाना बेलहरकला पुलिस* द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
*थाना धर्मसिंहवा पुलिस* द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 77 वाहनों से 74,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया*

आज दिनाँक 09.08.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 77 वाहनों से 74,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार***

जनपद में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 734/2026 धारा 69 बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता मो0 आजम पुत्र रियाजुद्दीन निवासी मोहिद्दीनपुर मदीना जामा मस्जिद के पास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 09.08.2026 को सोनी होटल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 08.08.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-* उ0नि0 श्री अजय कुमार सिंह, का0 विनय कुमार यादव।

***थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 610 ग्राम अवैध गांजे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष दुधारा ***श्री अमित कुशवाहा*** के नेतृत्व में थाना दुधारा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 01 अभियुक्त रामरेश पुत्र दयाराम निवासी ग्राम आलमपुर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को खटियावां बाग के पास से 610 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण* :-**
रामरेश पुत्र दयाराम निवासी ग्राम आलमपुर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
***बरामदगी *:-**
610 ग्राम अवैध गांजा।
***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*** उ0नि0 श्री अमरनाथ यादव, हे0का0 राजेश प्रसाद, का0 दीपनारायण शर्मा, का0 गुड्डू यादव।